

SHRI MURASOLI MARAN: Please fix the time according to the convenience of the Prime Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Prime Minister, when is it convenient for you?

SHRI CHANDRA SHEKHAR: Any time after 2.30 p.m.

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: He has given us 2.30. Let it start at 8'O Clock?
3' O'clock?

THE DEPUTY CHAIRMAN: 3' O'clock?

SHRI CHANDRA SHEKHAR: All right. I cannot postpone this lunch-eon meeting.

THE DEPUTY CHAIRMAN: (*Interruptions*)

हम लोग कोई तराजू तोल रहे हैं - साढ़े तीन, तीन ! एक डिवाइड कर लीजिए ।
Let us do if at 4 O'clock to be on the safe side.

SOME HON. MEMBERS: 3 O'clock.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right, 3 O'clock. Thank you. Now, Mr. Ajit P. K. Jogi.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Madam...

THE DEPUTY CHAIRMAN: We are taking up the Bill. Just now the Bill is before me.

SHRI JAGESH DESAI: Madam, you have permitted me.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I cannot permit anybody. Just now we are discussing the Bill. Yes, Mr. Ajit P. K. Jogi.

SHRI JAGESH DESAI: After the Bill, you allow me, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: After the Bill, I will allow anything, but not now.

SHRI A. G. KULKARNI: Madam, what about me?

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is your point?

DR. RATNAKAR PANDEY: What about Special Mentions?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not now.

SHRI A. G. KULKARNI: Madam, all along, I am trying to catch your eye to bring to your notice today's behaviour in the House...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Kulkarniji, we are not discussing it.

SHRI A. G. KULKARNI: ...and lowering the dignity of the House. I have not seen during the last 23 years such type of behaviour.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have seen many things in the House. Please sit down.

SHRI A. G. KULKARNI: You may have seen. But I have not seen. Madam, I register my protest against this behaviour.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right. Your protest is registered. Yes, Mr. Jogi.

1. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) ORDINANCE, 1990;

2. THE RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 1990— Contd.

श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश) :
उपसभापति महोदया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल 1991, जो शासन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और जिस पर मेरे मित्र श्री ग्रहलुवालिया ने एक दूसरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बिल के माध्यम से शासन जो मूल अधिनियम-1934 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, उसकी धारा-33 में संशोधन कर रहा है। धारा-33 में 6 उपधाराएं हैं और जो संशोधन यहां प्रस्तुत किया गया है उसका संबंध

उपधारा-4 से है। उपधारा-4 के अंतर्गत एक प्रावधान है जिसके अनुसार अभी तक जो व्यवस्था थी उससे सोने का जो भंडार शासन के द्वारा रखा जाता है उसको वजन के आधार पर रखने का प्रावधान रखा गया था और उसके अनुसार यह कहा गया था :

“For the purposes of this section, gold coin and gold bullion shall be valued at 0.118489 grammes of fine gold per rupee.”

अब यह संशोधन लाया गया है और यह कहा गया है कि सोने की यह मात्रा वजन के आधार पर न रखकर इसे मूल्य के आधार पर रखा जायेगा और इसलिये जहाँ यह कहा गया था कि 0.118489 ग्राम आफ फाईन गोल्ड पर रुपये, उसके स्थान पर अब :

“...Price not exceeding the international market price for the time being obtaining.”

किया जाये।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि ऐसा किया जाता है तो इसका असर रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार धारा-33 में जो स्वर्ण का भंडार उपधारा-2 में रखने का प्रावधान है उस पर प्रतिकूल रूप से असर पड़ेगा। उपधारा-2 में कहा गया है कि 200 करोड़ रुपये और 115 करोड़ रुपये, इन दोनों के मूल्यांकन के आधार पर रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार स्वर्ण का भंडार रखा जायेगा। जब रुपये का मूल्यांकन यहाँ किया गया है और उसके अनुसार यह कहा गया है कि स्वर्ण का भंडार उसके अनुसार रखा जाये, अब हम उसे वजन के आधार पर न करके अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर करना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इसका एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि कभी ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्वर्ण का मूल्य बहुत ऊपर चला जाता है तो जो गोल्ड का स्टॉक इन निर्देशों के अनुसार रखा जाता है उसमें बहुत कमी आ जायेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर फिर से विचार किया

जाना चाहिये। स्वर्ण की मात्रा में कमी नहीं आनी चाहिये। जो स्वर्ण की मात्रा कम से कम रखी जानी चाहिये उसके वजन में कमी नहीं आनी चाहिये। अगर मूल्य बढ़ जाते हैं तो जो स्वर्ण का भंडार इन निर्देशों के अंतर्गत रखा जा रहा है उसमें बहुत कमी आ जायेगी। इसलिये मैंने यह एक संशोधन भी प्रस्तुत किया है और यह निवेदन किया है कि जितनी कम से कम मात्रा आज की तारीख तक भारत की ओर से रखी गयी है कम से कम उसको मेन्टेन करके रखा जाये। अंतर्राष्ट्रीय प्राइसजें चाहे जितनी बढ़ें, चाहे जितनी कम हों जो स्वर्ण का भंडार राष्ट्र में इस कानून के अंतर्गत रखा जाना है उसमें कोई कमी नहीं आने देनी चाहिये। कीमतों में हमेशा अंतर आता रहता है, कीमतें बढ़ती रहती हैं, कीमतें कम होती रहती हैं, कीमतों के आधार पर स्वर्ण का भंडार रखा जाना उचित नहीं होगा। इसलिये इस अधिनियम के इस संशोधन पर फिर से विचार किया जाना चाहिये, इसका दूरगामी प्रभाव होगा। स्वर्ण का भंडार जो न्यूनतम भंडार हमें रखा जाना चाहिये उस पर कमी आयेगी, ऐसा नहीं होना चाहिये।

इसलिये मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से शासन से निवेदन करूंगा कि यदि आप अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार स्वर्ण के भंडार को रखना चाहते हैं तो यह शर्त भी लगा दी जाये कि जितने स्वर्ण का भंडार कम से कम आज हमारे पास है उसमें कोई कमी न आये। धन्यवाद।

SHRI ASHIS SEN (West Bengal):
 Madam Deputy Chairman, the Statement of Objects and Reasons indicates that gold stock has got to be revalued according to the international price. I am not in a position to understand para 4 of the Statement of Objects and Reasons that in view of the Gulf region crisis, it has become necessary for us to revalue the gold stock in order to have an impact on the foreign exchange reserve position. I would like to have some clarification as to what it has got to do with the foreign exchange

[Shri Asish Sen]

reserves you have got. I can understand that the valuation of the gold stock that we have got in the Reserve Bank today is very much lower than the international/domestic price; but if we are going to upgrade from time to time the value of gold that we have in stock, have you to come every time with a Bill to level it up with the international price, because the international price also fluctuates? If you have to revalue the gold stock held by the Reserve Bank of India every time there is a fluctuation in the international price because of some crisis in the Gulf, some war, etc., you will have to come to the House every now and then and say that the situation requires a revaluation of the gold stock that we have got.

There must be some specific and definite position by which you would be able to know, the people would be able to know, the actual value of the gold stock we have in our country. That is why I feel that some clarification is necessary in regard to the manner in which the stock is to be valued from time to time. It is some sort of ad hocism which is being resorted to now. Ad hocism in such a matter, in this type of thing, perhaps, will not be beneficial to the country, will not be beneficial to the economy of the country. Therefore, I would request the hon. Minister that this type of ad hocism should be ended. When we have been able to continue with the present arrangement in regard to the valuation of gold, for decades, in spite of the many vicissitudes which had taken place during this period, there is no necessity for having a valuation of this kind. A couple of years back, the Reserve Bank of India unloaded the gold stock it had. If it had not been done, this necessity would not have arisen. That is why I say that this type of ad hocism must be ended and a clear-cut position should be indicated in the Reserve Bank of

India Act in the matter of valuation of the stock of gold it has.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have no other names with me. Before I call on the hon. Minister to speak, I shall put the Resolution moved by Shri Ahluwalia to vote.

श्री सुरेन्द्रजीतसिंह अहलुवालिया :

पहले तो मिनिस्टर जवाब देंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry. Because there was such a chaos, I am confused, for the first time. Now, hon. Minister to reply.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Madam, hon. Member, Shri Ahluwalia, is aware that our foreign exchange reserves consist not only of currency reserves but also special drawing rights and gold held by the Reserve Bank of India. While the valuation of the SDRs and currency reserves are governed by established financial procedure and changed from time to time, section 33(4) of the Reserve Bank of India Act, 1934, had originally provided for a fixed value for the gold held by the RBI at a rate of 0.0118489 gms., of fine gold per rupee. This means valuation of 10 gms. of gold at Rs. 84.396. The result of such a rigid position was that the gold held by the RBI was of late valued at 1/26th of the international market price giving unrealistically low figure of the value of the reserves held by the RBI. This is particularly disadvantageous to India while making inter-country comparison.

Considering the outdated nature of the fixed valuation procedure of gold and the urgent need to make a realistic expression of the value of the gold held by the RBI, it was decided to change the valuation procedure. The procedure now contemplated would enable the RBI to change the valuation from time to time reflecting broadly the changes in international price and never exceeding it. This procedure would enable not only a realistic valuation but an appropriate comparison with many countries.

SHRI AJIT P. K. JOGI: But your reserves would go down.

SHRI DIGVIJAY SINGH: It will not go down.

Hon. Members may like to note that the amendment contemplates enabling provisions to allow flexibility for periodic revaluation. It places the prevailing international price as the ceiling and thus gives no scope for arbitrary valuation. It will be in a position to capture the effect of changing international price of gold.

As a result of the proposed amendment, the value of gold held by us will be comparable with other countries, such as Thailand, Brazil, which value their gold at a little over 100 per cent of the international price, of Pakistan and Ghana which value at a little over 90 per cent, and Argentina and Peru which value at a little over 80 per cent.

Madam, in view of what I have said, I would request Shri Ahluwalia to withdraw his Resolution and let this Bill be passed.

In regard to the point made by Shri Ajit Jogi, about the gold held by the RBI, I would like to point out to him that it will not be reduced because of this amendment. It will be maintained. I assure you.

SHRI AJIT P. K. JOGI: If you go by the prices, if the prices go up, the reserves would come down. How do you reconcile this?

SHRI DIGVIJAY SINGH: It will not go down. The amendment has no relationship with the quantity held or to be held. It relates to value only and it will not go down.

SHRI ASHIS SEN: Madam, by comparing our Indian economy with the economy of Argentina and Pakistan we are gradually reducing ourselves to a very lower position. The other point is that it is artificial. We are showing that our gold and asset

position is in a better position. We are trying to appear to the world like that but that is not the real position, it is the artificial position. So, I have a strong objection to the manner in which it is being done.

[The Vice-Chairman, Dr. Nagen Saikia, in the Chair.]

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) :
अर्जेंटिना और पाकिस्तान के बारे में माननीय सदस्य ने जो कहा वह ठीक है कि भारत की अर्थ व्यवस्था को उनसे कंपैर नहीं करना चाहिए। शायद अर्जेंटिना की सरकार को जानकारी होगी कि अर्जेंटिना में हर चार घंटे पर मुद्रास्फोति होती है। अगर कोई वहां दुकान पर सामान खरीदने जाता है तो दुकान से बाहर निकलने तक 4 से 6 प्रतिशत मूल्य बढ़ जाता है। हमारे यहां अगर आप कबूल करते हैं कि यही स्थिति है या होने वाली है तब तो यह ठीक है। लेकिन यहां पर कल ही मूल्य बढ़ि पर चर्चा हो चुकी है। मैं उससे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारी अर्थ व्यवस्था को इतना चौपट सरकार प्रस्तुत न करे ताकि देश और विदेश में निराशा हो, इससे मूल्य बढ़ि होगी।

श्री दिग्विजय सिंह : शंकर दयाल जी यह बिल मैं अपनी तरफ से नहीं लाया हूं, यह पिछली सरकार की तरफ से लाया गया बिल है। मैंने अर्जेंटिना की बात का जिक्र इसलिए किया था क्योंकि इन देशों का संबंध भी दुनिया की मार्केट से है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि अहलुवालिया साहब अमेंडमेंट लाए हैं तो उनकी जानकारी के तौर पर मैंने जिक्र किया। मेरा मतलब नहीं था कि पाकिस्तान और दूसरे देशों से कंपैरिजन करें। वे अपना अमेंडमेंट विवका करें इसलिए मैंने जिक्र किया था।

SHRI ASHIS SEN: When you make a statement in the House, that means it is a statement for the whole coun-

[Shri Asish Sen]

try, for the whole world. Whether you like it or not, it means that.

SHRI DIGVIJAY SINGH: I am just mentioning all these things.

मेरी कोई मंशा नहीं थी उसका जिक्र करने की। मैं अहलुवालिया साहब से गुजारिश कर रहा था कि अपने अमेंडमेंट को विद्वड़ा कर लें, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया। मुझे उम्मीद है कि काम जल्दी होना है, इसलिए अहलुवालिया जी अपना अमेंडमेंट विद्वड़ा कर लें तो यह बिल पास हो जाए।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष, महोदय, बड़ा आसान तरीका है कहने का कि हम इस विधेयक को पास करने जा रहे हैं, बहुखाल मैंने इसका विरोध किया है। पर मुझे आश्चर्य है कि इतना समझदार विपक्ष होने के बावजूद आज जब ऐसे मुद्दे पर बहस हो रही है तो सारा का सारा विपक्ष बाहर चला गया . . .

एक माननीय सदस्य : प्रतिपक्ष भी, सपक्ष भी है ये . . . (व्यवधान)

श्री स. व. प्रकाश मालवीय : सहपक्ष भी हैं।

श्री शंकर दयाल सिंह : आपकी आवाज में पक्ष और विपक्ष दोनों समाहित हैं क्योंकि आप भले ही वहां बैठ जायें आपकी भावना हमारे साथ बरकरार रहती है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं सहपक्ष में सहमत हूँ, मगर सहवास में नहीं हूँ . . . (व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं चूँकि भाषा का जानकार हूँ, इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहता।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : बी०पी० सिंह जब इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने 2 नवम्बर, 1989 को तो उन्होंने इस देश की 85 करोड़ जनता के सामने एक मैसेज दिया कि हिन्दुस्तान की तिजोरियाँ खाली हैं और पिछले 40 सालों में कांग्रेस ने उन तिजोरियों को खाली कर दिया। खाली तिजोरियों को लेकर वह क्या करना

चाहते हैं यह एक मैसेज दूरदर्शन के माध्यम से 2 दिसम्बर, 1989 को बताया। नेशनल टेलिकास्ट पर भाषण दिया और कहा : जब असल में बहोखाता देखा तब उन्हें समझ में आया कि यह तिजोरियाँ खाली हैं क्या भरी पड़ी हैं। मैंने इस बिल का विरोध इसलिए किया कि अगर तिजोरियों की बात आती है तो मेरा यह कहना है कि यह पूरा देश हमारा देश है और हम इसके परिवार के सदस्य हैं तो किसी भी घर की सम्पदा के बारे में अगर सोचा जाता है तो उसमें मूवेबल प्रोपर्टी, इममूवेबल प्रोपर्टी, फिक्स्ड ऐसेट्स है आदि सब कुछ देखा जाता है। देश की सम्पदा के बारे में अगर जानना हो तो उसके रिजर्व बैंक के गोल्ड डिपोजिट्स के बारे में जाना जाता है, उसकी देखा जाता है। यह गोल्ड डिपोजिट्स कोई बी०पी० सिंह नहीं ले आये थे, ये डिपोजिट्स जिसका मूल्यांकन आज तक 281 करोड़ रुपए का किया जा रहा था वह गोल्ड डिपोजिट्स नेहरू जी ने जमा कराये, इन्दिराजी ने सम्भाल कर रखे, राजीव गांधी ने सम्भाल कर रखे। उसको उन्होंने निकाला नहीं। इस 281 करोड़ रुपए के गोल्ड को रातों-रात 7,200 करोड़ रुपए का गोल्ड बता आंकड़ों को जगलरी करने की कोशिश की। यह 85 करोड़ भारतीयों के सामने यह पेश करना चाहते थे कि मुझे तो खाली तिजोरियाँ मिलीं पर हमने उन खाली तिजोरियों में इतना पैसा भर दिया कि वह 7,200 करोड़ हो गया। हमने जिस वक्त राजसत्ता संभाली थी उस वक्त विदेशी मुद्रा के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं था विदेशों में हमारी स्थिति खराब थी और आज हमारे वहाँ 7,200 करोड़ रुपए का गोल्ड है। इससे विदेशों में हमारी इमेज बढ़ती है। यह प्रमाणित करना चाहते कि यह इमेज हमने पिछले 11 महीनों में बनाई है। यह प्रमाणित करके हमारे 85 करोड़ भाइयों को उत्तुल्लु बना रहे थे। 15 अक्टूबर, 1990 को आर्जिनेंस द्वारा राष्ट्रपति से यह पास कराया . . . (व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : मेरा वाइंट आफ आर्डर है। उल्लू शब्द जी है यह पार्लियामेंट की भाषा में नहीं आना चाहिये। . . . (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीव सिंह अहलुवालिया : आप तो हिन्दी के बड़े जानकार हैं। लोगों को उल्लू बनाना एक मुहावरा है। मैंने यह मुहावरे के रूप में ही कहा है।

श्री सिकंदर बख्त : (मध्य प्रदेश) : यह बरगवारी में जा रहे हैं। . . . (व्यवधान)

श्री शंकर दयाल सिंह : लोगों को उल्लू बनाना मुहावरा नहीं है इसको रिकार्ड से निकाला जाए। . . . (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): He is not alleging anything.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: We have already discussed a number of times about this.

THE VICE-CHAIRMAN: He has used it only metaphorically and you should not take it in a serious way. Mr. Ahluwalia, I would request you to avoid such expressions. It is my request only. Please carry on, and conclude as soon as you can.

SHRI S. S. AHLUWALIA: That is my right, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Exactly. I said it is my request. I request you to please conclude.

SHRI S. S. AHLUWALIA: Nobody wants to discuss it but I want to discuss it. If you pressurize me, I will withdraw.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): There are so many other things.

SHRI S. S. AHLUWALIA: I understand, but it is a very valid point. The Government should come out with a statement.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): You please make your points as soon as possible.

श्री सुरेन्द्रजीव सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास फिजर्स हैं जून, 1990 की, हमारे सोने के पुराने रेट के हिसाब से यानी 84.39 पर टन ग्राम तो उसके हिसाब से 281 करोड़ रुपए का सोना हमारे रिजर्व बैंक में था। और उसके बाद जो लन्दन प्राइस और मार्केट प्राइस लगाने की बात सीबी आई उसके हिसाब से 6571 करोड़ रुपए का सोना था जो अक्टूबर में 281 करोड़ की जगह 7200 करोड़ का हो गया और 7200 करोड़ रुपये के सोने को हम किस तरह से दिखा रहे थे कि आल भाग ए स्कैम श्री बी०पी० सिंह ने कोई अल्लोइन का चिराग या कोई जादुई घड़ी घुमाकर रातोंरात कूठ सोना पैदा कर दिया हो या कोई विदेशी मुद्रा पैदा कर दी हो जिससे खाली त्रिजोरियों से छवि सुधार कर विदेशी मुद्रा में उभर कर सामने आ जाय कि इतने कम समय ने इतना डिप्लॉजिट इन्होंने कर दिया। यही कारण था कि मैंने इसका विरोध किया और आज सरकार को इस चीज को मानने की जबरत है कि इन्टर-नेशनल प्राइस, मार्केट प्राइस ली गई। आप सदन में इस बात को स्वीकार करें कि सोना नेहरू जी की बचाई हुई सम्पत्ति है, इन्दिरा गांधी की संजोई हुई सम्पत्ति है और राजीव गांधी का सुरक्षित किया हुआ सोने का भंडार है। आप इस चीज को स्वीकार करें। श्री बी०पी० सिंह के इन 11 महीनों में इसका मूल्य बढ़ाने के पोछे दो मकसद थे। एक मकसद तो यह था कि विदेशी मुद्रा बेचकर डेफिसिट डाइनेसिंग की वेल्यू लो लगा करके समाज के अन्दर ऐसी निचर पैदा करना चाहते थे कि हमने इतने सुधार किये हैं, इकोनॉमिक निचएसन को सुधारा है और दूसरी तरफ वे यह मैसेज भी देना चाहते थे कि हमारा जो स्टेट्यूटरी मिनिमम स्टॉक है उसमें 136.27 टन की जरूरत पड़ती है। उसके हिसाब से स्टॉक में 332 टन सोना था। वह वह सोना है जो आर० बी०आई० के पास है। इसके अलावा जो सोना स्मलर्स से सीज होता है, ऐसा बहुत सारा सोना है जो इसमें नहीं जोड़ा गया।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

इसके पीछे एक चाल थी। इलेक्शन में जिन व्यापारियों और बिज़नेसमैन ने उनकी सहायता की थी उनको वे बाईस सौ रुपये प्रति 10 ग्राम के ऊपर बेचना चाहते थे। इसलिए यह रेट फिक्स किया गया और यह रेट फिक्स करके 136.27 मेट्रिक टन स्टेट्यूटरी मिनिमम स्टाक की आर०बी०आई० में ज़रूरत है, उसको मानइस करके 332 में 156 टन बाज़ार में 44ने साधियों के साथ बेचना चाहते थे। यह एक साजिश थी, लेकिन यह उनका दूष्कार्य था और मुल्क का मोभाय था कि वे नवम्बर के बाद टिके नहीं पदच्युत हुए। यह उनकी चालाकी थी और इस चालाकी को नेनकाव करने के लिए ही मैंने इसका विरोध किया है। आप पहले यह स्वीकार करें कि जून के महीने में सोना 5844 करोड़ का था और लन्दन प्राइस के हिसाब से यह 12,134 करोड़ का आता है। फारन एक्सचेंज के हिसाब से इतना आता था। इसलिए आज सरकार इस बात को स्वीकार करे कि नेहरू जी, लालबहादुर शास्त्री जी, इन्दिरागांधी जी और राजीव गांधी जी द्वारा संचय किया हुआ सोना आज इस मुसीबत की घड़ी में मुल्क के काम आएगा। इसलिए कि इसकी कीमत बढ़ रही है, यह आप स्वीकार करें और जब आप इसको स्वीकार करते हैं तभी हम इस चीज को मानते हैं। अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now I shall put the Resolution moved by Shri S. S. Ahluwalia to vote.

म एक बात की द्वास्त-करुणा कि किसी व्यक्ति का नाम लिये बिना जिन्होंने इस देश की सेवा की है उनका यह देश हमेशा आभारी रहेगा। जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया, देश के विकास के लिए अपनी कर्बानी दी, देश की मदद की, उनका देश आभारी रहेगा।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : जो कब से जमा था, यह तो बता दीजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : जो भी लोग इस देश के प्रधान मंत्री रहे उनके समय से जमा था।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please don't enter into arguments. (Interruptions)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वी०पी० सिंह ने कितना ऐड किया . . . (व्यवधान) . . .

श्री दिग्विजय सिंह : अगर माननीय सदस्य हमसे शांत होते हैं तो मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि जिन लोगों ने देश की सेवा की उनके जमाने में यह पैसा जमा हुआ, उनके जमाने में यह सोना जमा हुआ और मैं निवेदन करता हूँ कि इस बिल को पास किया जाये।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि इस देश की सेवा जिन लोगों ने की है तो सेवा करने वालों में से पूर्व तीन प्रधान मंत्रियों को ही मैं मानता हूँ।

श्री दिग्विजय सिंह : चलिए ठीक है आपकी बात।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : वे हैं, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जिन्होंने यह सेवा की है।

एक माननीय सदस्य : श्री लाल बहादुर शास्त्री।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : और श्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने सेवा की। 1977 में भी इसी तरह से सोना बिका था और सोने को बेचने की कोशिश की गई थी और आज फिर एक सरकार ऐसी बनी जिसने बेचने की कोशिश

की है। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि आइरा देश की सम्पत्ति और सम्पदा देशवासियों के लिए एक भारतीय नारी के मंगल सूत्र से भी ज्यादा पवित्र समझे, इसलिए वे इसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश न करें और अपनी हमेज इसके आधार पर बिल्ड-अप करने की कोशिश न करें। . . . (व्यवधान) . . . उप-सभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया कि इस मुल्क के लोगों ने जिन्होंने सेवा की है यह उनकी बचाई हुई सम्पत्ति है, इसलिये मैं अपने मोशन को वापस लेता हूँ।

श्री शंकर दयाल सिंह : वी०पी० सिंह के बारे में जी आपने कहा है वह भी बिंदड़ा किया।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): I shall now put the Motion moved by the Finance Minister to vote.

The question is:

"That the Bill further to amend the Reserve Bank of India Act, 1934, as passed, by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

In Clause 2, there is an amendment by Shri Ajit P. K. Jogi. Mr. Jogi, are you moving your amendment?

श्री अजीत जोगी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि भारत के पास एक समय स्वर्ण का जो स्टॉक है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, चाहे स्वर्ण का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कितना भी क्यों न बढ़े, यह मानते हुए कि यह आश्वासन कायम रखा जाएगा और स्वर्ण के

भंडार में कोई कमी नहीं आएगी, मैं अपना संशोधन मूव नहीं करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MESSAGES FROM THE LOK SABHA

I. The Appropriation Bill, 1991.

II. The Jammu and Kashmir Appropriation Bill, 1991.

III. The Salary and Allowances of Leaders of Opposition in Parliament (Amendment) Bill, 1991.

IV. The Jammu and Kashmir Criminal Law Amendment (Amending) Bill, 1991.

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

(I)

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Appropriation Bill, 1991, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 10th January, 1991.

2. The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."